

(भारत के राजपत्र के भाग- 1 खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/12/2011-अ.भा.से. 1

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 27 मई, 2011

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सिविकम, हरियाणा और पंजाब सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, सुश्री ईशा, भा0प्र0से0 (सिविकम: 09) और डो0 सुमित जारंगल, भा0प्र0से0 (हरियाणा: 09) का विवाह होने के आधार पर उनके संबंधित संवर्गों से पंजाब संवर्ग में स्थानांतरण करती है।



(एस.एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा) ।